



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-01.08.2024

विषय:- “आपरेसन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना शिवपुर में आर्म्स एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 500/- रु0 का अर्थदण्ड ।

थाना शिवपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-94/97 धारा 25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अवधेश सिंह पुत्र लाल बहादुर निवासी शहाबुद्दीन चमाव थाना शिवपुर जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक शिवपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-31.07.2024 को माननीय न्यायालय ACJM-07 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त अवधेश सिंह उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 25 आर्म्स एक्ट में न्यायालय उठने तक की सजा व 500/- रु0 अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।